न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 97 / 2022

1 शीशराम पुत्र स्व. माला उम्र 56 साल जाति जाट निवासी सेफरा गुवांर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 प्रकाश पुत्र स्व. माला
2 धर्मपाल पुत्र स्व. माला
3 भागली पत्नी स्व. माला
4 महेन्द्र पुत्र स्व. माला
5 रामनिवास पुत्र स्व. माला
6 भागीरथ पुत्र स्व. मूलचन्द
7 रोहताश उर्फ जयसिंह
8 जयदयाल
9 ग्यारसीलाल पुत्रगण स्व. मूलचन्द
10 मोहरली पत्नी स्व. मूलचन्द
11 शान्ति
12 कमला
13 दयाकौर पुत्रियां स्व. मूलचन्द
14 चुंकी देवी पत्नी स्व. सहीराम
15 राजपाल पुत्र स्व. सहीराम
16 सुमन पुत्री सहीराम
17 सरदारा पुत्र स्व. मंगला
18 ताराचन्द पुत्र भूरा
19 धोकड़राम पुत्र भूरा
20 हेतराम पुत्र भूरा
21 भादरराम पुत्र भूरा समस्त जाति जाट निवासीगण सेफरा गुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा नम्बर 94/2011 उनवानी महेन्द्र सिंह वगै. बनाम प्रकाश वगै. दावा घोषणात्मक खातेदारी, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री कन्हैयालाल महमिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.1.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 104 (जो चिचडौली के भूमि खसरा नम्बर 941 से नया ग्राम रूपा का बास खसरा नम्बर बना है।) वाके रूपा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 6 को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुने ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने में भारी कानूनी भुल की है। विचारण न्यायालय में बहस हेतु पेशी 21.06.2018 नियत कर रखी थी एवं नियत पेशी से पूर्व ही अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को बिना सूचना दिये ही उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.08.2011 में यह अंकन आया है कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 व प्रतिवादी नम्बर 12, 13, 14, 16, 17, 18 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी नम्बर 15 के जवाब दावा हेतु पत्रावली में आदेशिका चल रही थी परन्तु विचारण न्यायालय मं प्रतिवादी नम्बर 5 के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही होने के बावजूद प्रतिवादी नम्बर 15 ताराचन्द के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 5 जयदयाल का जवाब दावा बन्द कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में जो भी कार्यवाही की है वह बिना विवेक व विवेचन के की है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2014 को साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 भागीरथ का शपथ पत्र पेश किया गया। उक्त शपथ पत्र के किसी भी पृष्ठ पर यह अंकन नहीं है कि वादी साक्ष्य ने पी.डब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश हुआ एवं गवाह को शपथ दिलाई गई, दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नही कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने में भारी भुल की है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 0.20 है. गत खसरा नम्बर 941 रकबा 0.20 है. के संबंध में प्रतिवादी नम्बर 15 ताराचन्द (रेस्पोडेन्ट नम्बर 18) ने एक लिखावट प्रदर्श–3 प्रस्तुत की। उक्त लिखावट में रेस्पोडेन्ट नम्बर 18 ताराचन्द ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त रूप से विक्रय की गई थी परन्तु विक्रय पत्र मेरे नाम से बना

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। इसलिए मौजूदा अपील के सभी पक्षकार का पूर्वजों के हिसाब से 1/5, 1/5 हिस्सा है, इसके बावजूद भी वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय में राजस्व हानि होना मानकर उक्त वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी नं. 15 ताराचन्द का कोई जवाब दावा रिकार्ड पर नहीं आया और ना ही कोई साक्ष्य उसकी ओर से पेश हुई। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं दस्तावेजी साक्ष्य का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं हुआ। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 104 (जो चिचडौली के भूमि खसरा नम्बर 941 से नया ग्राम रूपा का बास खसरा नम्बर बना है।) वाके रूपा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय में वादीगण ने यह वाद ताराचन्द पुत्र भूरा जाति जाट आयु 45 साल निवासी सेफरागुवार (ढाणी डूडीयो की) तहसील खेतड़ी ने उक्त विवादग्रस्त भूमि बाबत 5/– रू. के स्टाम्प पेपर लिखित लिखावट के आधार पर पेश किया है जो पत्रावली पर (प्रदर्श–3ए) है। उक्त लिखावट पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं है जिससे राजस्व हानि स्पष्ट परीलक्षित हो रही है तथा उक्त लिखावट के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादीगण ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 104 (जो चिचडौली के भूमि खसरा नम्बर 941 से नया ग्राम रूपा का बास खसरा नम्बर बना है।) वाके रूपा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 01.05.2018 को वास्ते बहस दिनांक 21.06.2018 को नियत की गई है। विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार द्वारा पत्रावली नियत तिथि से पूर्व पेशी में लेने का आवेदन प्रस्तुत किये बिना, विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष व उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना पत्रावली नियत तिथि दिनांक 21.06.2018 से पूर्व दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प हरड़िया में पत्रावली रखकर बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करना अंकित किया है।

स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, बहस सुने बिना, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.1.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)